उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या –06 / 2020

गणेश चन्द्र पोद्दार बनाम झारखण्ड राज्य एवं राजेन्द्र महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख
09-04-2022	यह वाद अपीलार्थी गणेश चन्द्र पोद्दार पिता स्व० प्रहलाद साव ग्राम वो थाना गोला जिला रामगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में दायर रिट याचिका संख्या–5632 / 2018 दिनांक–27.02.2020 आदेश के आलोक में दिए गये अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई। दिनांक–01.09.2021 को अपीलार्थी द्वारा अभिवचन में संशोधन हेतू सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत एक आवेदन देकर विपक्षी में राजेन्द्र महतो पिता झबरा महतो के अलावे धर्मनाथ महतो पिता स्व0 पुसन महतो, रेगन रजवार पिता स्व0 मंगरा रजवार, मुजू बेदिया पिता स्व0 कालिका बेदिया सभी निवासी ग्राम हेमतपुर थाना गोला जिला रामगढ़ को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकृत किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख, आवेदन, कारण पृच्छा एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत अपील, प्रथम पक्ष के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 5632 / 2018 दिनांक 27.02.2020 आदेश के आलोक में दाखिल किया गया है। उपरोक्त रिट याचिका भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के विविध वाद संख्या 06 / 2010–11 / 05 / 2014–15 गणेश चन्द्र पोद्दार बनाम राजेन्द्र महतो में मौजा बनतारा थाना गोला जिला रामगढ़ के खाता न0 05 प्लॉट न0	

136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 156 कुल रकवा 9.58 ए0 भूमि के बावत दिनांक 09.03.2017 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था।

इनका आगे कहना है कि उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वज वैद्य कानूनी प्रकिया पुरी करने के उपरांत अर्जित किया था। उक्त भूमि को कुछ दबंग तथा लालची लोग जालफरेबी दस्तावेज बनवाकर एक टाईटल सूट (स्वत्व वाद न0) 70/1947 निबंधित कराया था जिस टाईटल सूट में सीताराम महतो–वादी व अपीलार्थी के पिता तथा बडे भाई अव्यस्क को प्रतिवादी बनाया गया था। टाईटल सूट में दिनांक 20 मई 1950 तथा 30 मई 1950 को आदेश पारित किया गया जिसमें आदेश दिया गया कि वादी तथा प्रस्तुत अपीलार्थी के पिता व अन्य पुर्वजों के द्वारा दाखिल दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद दिवानी न्यायालय इस निष्कर्ष में पहूँचा कि वादी द्वारा दायर किया गया टाईटल सूट में कोई बल नही है व वाद का खारिज करते हुए अपीलार्थी के पिता व अन्य के दावे को सही मानते हुए स्वत्व दावे को सम्पुष्ट किया। दिवानी न्यायालय के आदेश के पश्चात् अपीलार्थी के पुर्वज भूमि पर शांतिपुर्ण दखलकार रहते हुए व जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् सारे राजस्व अभिलेख यथा पंजी ।। तथा लगान रसीद को अद्यतन किया गया तथा अपीलार्थी के पिताजी व अन्य वैद्य हिस्सेदारों का नाम सभी राजस्व अभिलेख व नियमानुकूल रूप से दर्ज किया गया। जमीन का कुछ भाग यथा एक एकड आठ डिसमिल बिक्री किया गया जो केता जमीन खरीदकर राजस्व विभाग में दाखिल खारीज की प्रकिया पुरा कर शांतिपुर्ण दखलकार है।

पुनः कुछ जमीन माफिया द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने अपीलार्थी के जमीन से संबंधित अद्यतन सारे कागजात यथा 01.04.1926 के इस्तीफा केवाला संख्या 402 उसके उपरांत निबंधित केवाला संख्या 124 दिनांक 03.02.1927 के द्वारा तत्कालिन भूतपुर्व भुस्वामी के द्वारा निबंधित केवाला द्वारा अपीलार्थी के पिता प्रहलाद साव तथा बडे भाई जितु साहु के नाम वैद्य हस्तांतरण तथा मुख्यतः दिवानी न्यायालय के द्वारा स्वत्व वाद के निर्णय जो अपीलार्थी के पिताजी के पक्ष में पारित किया गया, अवलोकन के उपरांत न्यायालय अनुमण्डल

दण्डाधिकारी, रामगढ़ वाद संख्या 04/2006–07 दिनांक 19.09.2008 राजेन्द्र महतो व अन्य बनाम बोदी चन्द्र पोद्दार एवं अन्य में प्रथम पक्ष के दावे को खारिज किया तथा अपीलार्थी के दावा मालिकाना हक को दिवानी न्यायालय के निर्णय तथा सारे राजस्व दस्तावेजों को सम्पुष्ट किया। पुनः उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी अपर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर किया जो विविध वाद अपील 01/2009 दर्ज किया गया। उक्त वाद में अपर समाहर्ता, रामगढ ने दिनांक 21.07.2009 को आदेश पारित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश को सम्पुष्ट किया तथा पुनः अपीलार्थी के दावे को स्वीकारते हुए विपक्षी के दावे को खारिज कर दिया।

पुनः विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि को विवादित रखने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के समक्ष राजस्व कागजातों को दाखिल कर एवं अंचल अधिकारी, गोला के पत्रांक 43 दिनांक 18.03.14 को आधार मानते हुए पक्षकारों को नोटिस किया गया। जबकि इस मामलें में दिवानी न्यायालय के स्पष्ट आदेश व आज्ञा आदेश, राजस्व मामलें में अपीलीय अधिकार प्राप्त अपर समाहर्ता के विविध अपील में आदेश के बावजूद भूमि सूधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने अपने आदेश में दोनो पक्षों का जमाबंदी स्थगित तथा पुनः स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश पारित किया जाना, जो बिल्कुल सरासर गलत है।

अपीलार्थी उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय के समक्ष अपील दायर किया जो अपील संख्या 03/2015 दर्ज किया गया सुनवाई के उपरांत अपील को निष्पादित करते हुए पुनः निम्न न्यायालय को सुनवाई कर आदेश पारित करने का निदेश दिया। पुनः उपायुक्त के आदेशानुसार भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें पुनः अपीलार्थी को अपने जमीन के स्वत्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त भूमि सुधार उपसमाहर्ता के दिनांक 09.03.2017 के गैर कानूनी आदेश पारित होने पर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में सारे तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए रिट याचिका दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः उपायुक्त

महोदय को कानून सम्मत् आदेश अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करने का निदेश दिया गया।

अन्तः में इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के दिनांक 09.03.2017 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष कमांक 2 राजेन्द्र महतो के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वाद में विवादित जमीन खाता न0 05 प्लॉट न0 136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 156 कुल रकवा 9.58 ए0 जो मौजा बनतारा थाना गोला जिला रामगढ़ से संबंधित है। उपरोक्त जमीन पर मेरा या मेरे पिता या मेरे पुर्वजों का कभी भी दखल नही रहा है। जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात मेरे पास नही है एवं काफी खोजबीन करने पर भी उपरोक्त जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई निबंधित दस्तावेज या सादा दस्तावेज मेरे या मेरे पुर्वजों के नाम से नही पता चला है। जमीन से संबंधित पंजी ।। में जमाबंदी मेरे पुर्वज सुखलाल महतो वगैरह के नाम से चल रहा है जो कि गलत है। उसे विलोपित कर दिया जाय। वर्णित विवादित जमीन पर आवेदक एवं उनके पुर्वजों का वर्षो से दखल रहा है।

बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा कि किसी रैयत की जमाबंदी यदि वर्षो से चली रही है, तो उसे सामान्य प्रकिया के तहत खारिज नही किया जा सकता है। इसके द्वारा विधिवत् सक्षम न्यायालय का शरण लेना चाहिए।

प्रश्नगत भूमि के बावत अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में सी0आर0आर0 वाद संख्या 04/06–07 राजेन्द्र महतो एवं अन्य बनाम बोदी चन्द्र पोद्दार एवं अन्य वाद चला था जिसमें दिनांक 19.08.2008 को अपने पारित आदेश में कहा है कि पुर्व से लेकर अभी तक प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का ही दखल कब्जा पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा JLJR -2002 page no. 622 एवं JLJR -2003 page no. 12 में दिये गये निर्णय के अनुसार वर्षो पुर्व से यदि किसी रैयत के द्वारा मालगुजारी दी जा रही है तो

उस जमाबंदी को रदद नही किया जा सकता है। अगर किसी पक्ष को किसी तरह का कोई आपति है तो वैसी स्थिति में उसके लिए व्यवहार न्यायालय में अपील या रिवीजन दायर करना आवश्यक है। इसी प्रकार अपर समाहर्ता, रामगढ़ ने विविध अपील वाद संख्या 01/2009 राजेन्द्र महतो वगै0 बनाम बोदीचन्द्र पोद्दार अपने आदेश दिनांक 21.07.2009 को अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक 19.09.2008 को पारित आदेश का यथावत् रखा है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के विरूद्ध वाद सं०–06/2010–11/05/2014–15 गणेश चन्द्र पोद्दाद बनाम् राजेन्द्र महतो में दिनांक–09.03.2017 को पारित आदेश में कहा गया है कि, "प्रथम पक्ष कहना है कि मौजा बनतारा के खाता सं०–05 कुल रकया–9.58 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में दिवाकर साहु पिता–चीनीबाला साहु के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी बतलाया गया है कि दिवाकर साहु एवं राज किशोर साहु अपने भाई थे। राज किशोर साहु के अपने पीछे दो पत्नी लिलु कुवंरी एवं राजु कुवंरी छोड गये। उन्होने आगे कहा है कि उन्हें उक्त भूमि भूतपूर्व भू–स्वामी लिलु कुवरी एवं राज कुंवरी पति–राज किशोर साहु के द्वारा केवाला से प्राप्त है। लेकिन केवाला सं०–1716 दिनांक–25.06.2014 के द्वारा गणेश चन्द्र पोद्दार पिता–स्व० प्रहलाद साहु एवं अन्य के द्वारा श्रीमती सुमन देवी, पति–नरेन्द्र कुमार को बिक्री की गई है। उसमें उल्लेखित है कि खाता सं०–05 के नाम से दिवाकर साहु दादा ले० नम्बर–01 वो परदादा ले० नम्बर–02 वो दादाससुर ले० नम्बर–03, ता 5 के दर्ज है। यदि प्रथम पत्र खतियानी रैयत (दिवाकर साहु) के वारीयान थे ज़ैसा कि उन्होनें अपने जबाब के पेज नं०–05 के पारा 08 में उल्लेखित किये है, एवं दिवाकर साहु तथा राजकिशोर साहु अपने भाई थे तो राज किशोर साहु की पत्नियों से भूमि का केवाला कराना संदेह उत्पन्न करता है"।

अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पत्र की रसीद 1954–55 से 2010–11 तक निर्गत है एवं द्वितीय पत्र की रसीद 1981–82 से 2009–10 तक निर्गत है। अर्थात एक ही भूमि की दो समानांतर जमाबंदियों लम्बी अवधि से कायम है। मामला दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय

ह०

पक्ष के कायम जमाबंदी रैयत के नाम पर अपलेखन किया गया है। अर्थात दोनो पक्षों की जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों की जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होती है एवं एक ही भूमि की दोनो जमाबंदी लम्बे समय से कायम है। मामला दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय में संभव है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दिनांक–03.09.2020 के दिये गये आवेदन को अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के विविध वाद 06/2010–11/05/2014–15 गणेश चन्द्र पोद्दार बनाम् राजेन्द्र महतो में दिनांक–09.03.2017 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। असंतुष्ट पक्ष को यदि आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय के अपील या रिवीजन दायर कर सकते है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
09.04.2022.
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
09.04.2022.
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.08.08 12:46:20 +05:30
Location: 192.168.0.34